फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद संख्या 50/2014 अनवान तेजाराम वगैरा बनाम जबरसिंह वगैरा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

(प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
30-7-2019	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री दिनेश माथुर उपस्थित। वकील प्रतिवादी संख्या–01 श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् जाहिर हैं कि हस्तगत् प्रकरण में वकील प्रतिवादी श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के माध्यम से दलील दी जा रही हैं कि वादी द्वारा दिनांक 14.06.1984 के अपंजीकृत बेचान पत्र के आधार पर घोषणा का उक्त वाद पेश किया हैं। जिस वाद पत्र में 188 व 88 का भी उल्लेख है, परन्तु इस्तदुआ में केवल 188 की ही है, घोषणा का अनुंतोष नहीं मांगा। बिना घोषणा के 188 की मांग नहीं की जा सकती हैं। जिससे वादी का वाद विधि के प्रावधानो से वर्जित है। धारा 188 का वाद केवल खातेदार ही ला सकता है। वर्ष 1984 के अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर वर्ष 2014 में वाद पेश किया गया, जो मयाद बाहर है। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर घोषणा का अधिकार सहायक कलक्टर को नहीं है, क्षैत्राधिकार से बाहर है। इस बाबत् वकील प्रतिवादी ने बहस के दौरान् कानूनी उद्धहरण 2015 DNJ [sc] पेज 584 से 587 पेश की। Special Performance के लिये सिविल कोर्ट में ही जाना होगा। इसके विपरित अधिवक्ता वादी श्री दिनेश माथुर ने बहस में प्रार्थना पत्र के जवाब के तथ्य को दोहराते हुये दलील दी कि साक्ष्य का विषय आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में केवल विक्रय विलेख शेष है बाकी हस्तान्तरण ,कब्जा काश्त एवं अडोस पडोस सब स्पष्ट है। वादीगण का हक वर्ष 1984 से है। जिससे प्रार्थना पत्र वकील प्रतिवादी खारिज कर प्रकरण को साक्ष्य के पश्चात् गुणावगुण पर निर्णित किये जाने की दलील दी गई। संशोधित दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 में आदेश 07 नियम 11 के प्रावधानो अनुसार– **11. वादपत्र का नामंजूर किया जाना–** वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा– (क) जहां वह वाद हेतु प्रकट नहीं करता है, (ख) जहां दावाकृत अंनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है, (ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक हैं किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है, (घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, (ड) जहां वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है, (च) जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा हैं, (छ) जहां वादी नियम 9(3) की अनुपालना करने में असमर्थ रहा हैं। सी.पी.सी. के आदेश 07 नियम 11 में वर्णित प्रावधानो के अवलोकन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन करने पर जाहिर हैं कि उक्त प्रकरण में वादी द्वारा दिनांक 14.06.1984 के	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, जिला - पाली

उप - खण्ड अधिकारी, पाली

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज
	अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर घोषणा खातेदारी एवं सार्वकालिक निषेधाज्ञा का उक्त वाद पेश किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत खातेदारी प्राप्त करने के लिये वादीगण के पास कोई ऐसा अधिकृत दस्तावेज नहीं है, जिसके आधार पर उसकी खातेदारी घोषणा पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार इस प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हैं कि वाद हेतूक ही उत्पन्न नहीं होता है। जिससे सी.पी.सी. के आदेश 07 नियम 11 (क) में वर्णित प्रावधानो अनुसार वादी का उक्त वाद चलने योग्य नहीं हैं। इसके साथ ही माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी परिपत्र क्रमॉक–राम/न्याय/प–32/2007/6197 दिनांक 05.04. 2019 में वर्णित निर्देशो का भी अवलोकन किया, जिसके अनुसार बिना किसी ठोस कारण के वाद दर्ज ही नहीं किये जावे, राजस्व वाद सुनवाई योग्य पाया जाता है तो ही उसे दर्ज कर सम्मन जारी किए जावे। इसके साथ ही प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार मांगे जाने पर मण्डल की पूर्ण पीठो द्वारा 2015 आर.आर.डी 508 जगदीश व अन्य बनाम सीताराम व अन्य तथा 2018 आर.आर.डी 715 एल.आर. सरजुराव बनाम अमृतलाल वगैरा में प्रतिपादित सिद्वान्तो की पालना की जावे। इस राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी परिपत्र में वर्णित निर्देशो के अनुसार भी उक्त वाद चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है, तथा वादीगण द्वारा ग्राम फतापुरा के खसरा नंबर 175 मेंसे 10 बीघा भूमि की घोषणा खातेदारी एवं सार्वकालिक निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बाली उप - खण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned by CamScanner